केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली–110 067

CICOM/A/P/20/00095
CICOM/R/P/20/00391

अपीलकर्ता का नाम : डॉ0 सत्य विजय सिंह
बघेल निवास, मकान संख्या–सी/130/144,
शाहपुर, गीता वाटिका, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

1.	आरटीआई आवेदन की तिथि	04.08.2020
2.	सीपीआईओ के जवाब की तिथि	18.09.2020
3.	सीपीआईओ का विवरण	श्री बी0 एस0 कसाना, सीपीआईओ
4.	प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील प्राप्ति की तिथि	23.10.2020
5.	निर्णय की तिथि	16.11.2020

1. वाद का संक्षीप्त विवरण :

अपीलकर्ता ने अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से, आयोग के पत्र संख्या CIC/RAILB/A/2016/304375 दिनांक 18.03.2020 का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित सूचना की मांग की थी:

1. कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें तथा यह सूचना प्रमाणिक अभिलेख के साथ उपलब्ध करावे कि निदेशक जन परियोजना एवं सीपीआईओ रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ने कोई सूचना एवं अभिलेख उपलबध आपको करायी है। यदि करायी है, तो उसे मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें, क्योंकि मुझे कोई भी सूचना एवं अभिलेख रेलवे बोर्ड सीपीआईओ की तरफ से आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।
2. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ने आप के संदर्भित पत्र के निर्देश के वावजूद कोई सूचना अभी तक मुझे नहीं उपलब्ध करायी है। ऐसी स्थिति में आप के द्वारा की गयी कार्रवाई की सूचना प्रमाणिक अभिलेख के साथ उपलब्ध कराने की कृपा करें।

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :

अपीलकर्ता के उक्त आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री बी0 एस0 कसाना, सीपीआईओ ने प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना प्रेषित की:

1. अपील संख्या से संबंधित रिकार्ड का का अवलोकन करने से यह पता चला है कि आयोग के पत्र संख्या CIC/RAILB/A/2016/304375 दिनांकित 18.03.2020 के जारी होने के बाद आयोग में प्रतिवादी द्वारा कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि प्रतवादीगण द्वारा पत्र संख्या

RB/RTI/2016/010059163/CPIO-7 दिनांकित 11.10.2017 के द्वारा सूचना आपको भेजी थी, जिसकी प्रतिलिपियां संलग्न की जाती हैं।

2. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इसमें कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की गयी है।

3. **प्रथम अपील का आधार :**

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उक्त जवाब से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल किया है। प्रार्थी ने अपने अपील प्रपत्र में यह उल्लेख किया है कि आयोग के प्रश्नगत पत्र के संदर्भ में जन सूचना अधिकारी को रेलवे बार्ड, सीपीआईओ से सूचना मंगवा कर देना चाहिए, जो उनका दायित्व है।

4. **निर्णय :**

प्रथम अपील, आरटीआई आवेदन और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी के आरटीआई आवेदन के माध्यम से वांछित सूचना के संदर्भ में तथ्यात्मक सूचना प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अंतर्गत केवल वह सूचना, जो लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध और उसके द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, प्रदान की जा सकती है। एक जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह उस सूचना का निर्माण करे, जो रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथ्यात्मक और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः प्रस्तुत मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी यदि चाहें प्रस्तुत संदर्भ में संबंधित रजिस्ट्री के समक्ष प्रश्नगत मामले में गैर अनुपालन याचिका दाखिल कर यथोचित उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि प्रार्थी उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट हैं, वे चाहें तो प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध के केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष प्रस्तुत निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक – 16 नवम्बर, 2020

मीना शर्मा 16/11/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : **26162290**

प्रतिलिपि:-

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आरटीआई स्कंध, सीआईसी, नई दिल्ली।
2. श्री बी0 एस0 कसाना, सीपीआईओ–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार, सीआईसी, नई दिल्ली।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
17 NOV 2020
D. No.........
Initials.........